...........की पेश हो।

18/7/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील अनु०। चूंकि मूलवाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है अब इस पत्रावली को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः इस [illegible] की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की [illegible] अभिलेख [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 13:34:43 IST
Reason: SelfAttested